रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2005/आश्विन 5, 1927
No. 138] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2005/ASVINA 5, 1927

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2005

फा. सं. 02-11(1)/03-बीईई.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, शासी परिषद् के कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया विनियम, 2004 का प्रारूप, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 02/11(1)/03-बीईई, तारीख 6 जुलाई, 2004 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किया गया था;

और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप विनियम के साथ आक्षेपों या सुझावों पर, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

और उक्त प्रारूप विनियम के राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 जुलाई, 2004 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव पूर्वोक्त अवधि में प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (शासी परिषद् के कामकाज के संचालन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**– (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य-सचिव" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शासी परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) "वर्ष" से 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **अधिवेशन की तारीख और समय**– (1) शासी परिषद् का वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन होगा ।

(2) सदस्य-सचिव अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् शासी परिषद् के अधिवेशन की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा ।

4. **अधिवेशन की सूचना**–(1) विनियम 3 के अधीन नियत किसी अधिवेशन की सात दिन की स्पष्ट सूचना और उसमें संव्यवहार किए जाने वाले कामकाज की कार्यसूची प्रत्येक सदस्य को उसके रजिस्ट्रीकृत या सामान्य पते पर लिखित रूप में भेजी जाएगी :

परन्तु यह कि अत्यावश्यकता की दशा में, विशेष अधिवेशन, संव्यवहार किए जाने वाले कामकाज और ऐसे अधिवेशन बुलाए जाने के कारणों को प्रत्येक सदस्य को सूचित करते हुए अल्पसूचना पर बुलाया जा सकेगा ।

5. **अधिवेशन में गणपूर्ति और प्रक्रिया**– (1) शासी परिषद् के अधिवेशन में कामकाज के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ।

(2) यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष अधिवेशन को स्थगित कर देगा और कोई अन्य तारीख नियत करेगा ।

(3) जब कोई अधिवेशन उपविनियम (2) के अधीन स्थगित कर दिया गया हो तब उस अधिवेशन के लिए नियत अन्य तारीख को केवल स्थगित किए गए अधिवेशन के कामकाज का संव्यवहार किया जाएगा और उपविनियम (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

6. **अधिवेशन का कार्यवृत्त**– (1) सदस्य सचिव अधिवेशन का कार्यवृत्त तैयार करेगा और इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में उसका अभिलेख रखेगा ।

(2) अधिवेशन की बाबत सभी अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे ।

(3) प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी ।

7. समिति के अधिवेशन में कामकाज का संचालन–

(1) शासी परिषद् द्वारा अपने कामकाज के संचालन में सहायता के लिए बनाई गई समिति की दशा में, ऐसी समिति की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगी ।

(2) यदि समिति के किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो समिति का अध्यक्ष, अधिवेशन के कामकाज का संव्यवहार को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर देगा ।

(3) ऐसी समितियों की बैठकों की दशा में विनियम 6 में अंतर्विष्ट उपबंध भी लागू होंगे ।

(4) शासी परिषद् इन विनियमों के अधीन न आने वाली अन्य प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए समिति के अध्यक्ष को निदेश जारी कर सकेगी ।

(5) अधिनियम की धारा (5) के उपबंध लागू होंगे ।

वी.एस. वर्मा, महानिदेशक

[विज्ञापन III/IV/185/2005/असा.]

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2005

F.No. 02-11(1)/03-BEE.—Whereas draft of the Bureau of Energy Efficiency, Procedure for conduct of Business of the Governing Council Regulations, 2004 was published *vide* notification No. 02/11(1)/03-BEE dated the 6th July, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required under sub-section 1 of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) for the information of all persons likely to be affected thereby;

And whereas notice was given that the said draft regulations will be taken into consideration together with any objection or suggestion received on or after the expiry of a period of forty five days from the date when the Gazette copies were made available;

And whereas the Gazette copies of the said draft regulation were made available to the public on 6th July, 2004;

And whereas no objection or suggestion with respect to the said draft has been received within the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely

1. **Short title and commencement** - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Procedures for Conduct of Business of the Governing Council) Regulations, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

   (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

   (b) "Director General" means the Director General of the Bureau appointed under sub-section (1) of section 9 of the Act;

(c) "Member-secretary" means the member secretary of the Governing Council appointed under sub-section (1) of section 4;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Year" means the period of twelve months beginning with, the 1st day of January and ending with the 31st day of December.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Date and time of meeting** (1) The Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency shall meet at least twice in a year.

(2) The member-secretary after consultation with the Chairperson shall fix the date, time and place of a meeting of the Governing Council.

4. **Notice of meeting**- (1) Each member shall be given in writing seven days clear notice of a meeting fixed under regulation, 3 and the agenda of business to be transacted therein at his registered or usual address:

Provided that in the case of urgency a special meeting may be convened at a short notice informing each member of the business to be transacted and reasons for convening such meeting.

5. **Quorum and procedure at meeting.**- (1) The quorum necessary for transaction of business at a meeting of the Governing Council shall be one third of the total number of members of the Governing Council.

(2) If at any meeting there is no quorum, the Chairperson shall adjourn the meeting and fix another date.

(3) When a meeting has been adjourned under sub-regulation (2), on the other date fixed for the meeting, only the business of the adjourned meeting shall be transacted and the provisions of sub-regulation (1) shall not be applicable.

6. **Minutes of the meeting.** - (1) The member secretary shall draw the minutes of the meeting and record the same in minute book kept for this purpose.

(2) All the records in respect of meeting shall be signed by the member-secretary.

(3) A copy of the minutes of each meeting shall be sent to each member.

7. **Conduct of business by the Committee.** –

(1) In case of committee set up by the Governing Council to assist it in the conduct of its business, the quorum to constitute a sitting of such committee shall be one-third of the total number of members of the committee.

(2) If at any meeting of the Committee there is no quorum, the Chairperson of the Committee shall adjourn the meeting to another date to transact the business of the adjourned meeting.

(3) The provisions contained in regulation 6 shall also be applicable in case of meetings of such Committees.

(4) The Governing Council may issue directions to the Chairperson of the Committee for regulating other procedure, not covered under these regulations.

(5) The provisions contained in section (5) of the Act shall be applicable.

V.S. VERMA, Director General
[Advt. III/IV/185/2005/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.